राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि.26अक्टूबर, 2017

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान
(नागौर, कोटा, हनुमानगढ एवं झुन्झुनू को छोड़कर)।

विषय :– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 एवं दिनांक 05.09.2017

माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ताओं की कार्यशाला में प्रत्येक जिलों में जिला परिषद्/पंचायत समिति स्तर पर एक–एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 16.10.2017 तक आवश्यक रूप से स्थापित करने हेतु प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था।

जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब तक मात्र 4 जिले (नागौर, कोटा, हनुमानगढ (टीब्बी) एवं झुन्झुनू (अलसीसर)) में ही प्रयोगशाला स्थापित हुई है एवं 10 जिले (अलवर, बारां भरतपुर, बूंदी, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक, सीकर एवं उदयपुर) में कार्यवाही प्रक्रियाधीन बतायी गई है। शेष जिलों में इस संबंध में अभी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है, जो खेदजनक है।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई समीक्षात्मक दिनांक 25.10.2017 में अधिकांश जिलों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना अभी तक नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया गया एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्यवाही नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही कराकर दिनांक 15.11.2017 तक आवश्यक रूप से जिला/पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराना सुनिश्चित करावें।

25/10/17

(रोहित कुमार)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
7. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राविप्र), समस्त राजस्थान।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव (मो. एव मु./एसएपी–I/एसएपी–II ईजीएस), ग्रामीण विकास।
10. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस/ग्रावि/(प्रो0) महात्मा गॉधी नरेगा/ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज
11. अधिशाषी अभियंता, अभि./ईजीएस, जिला परिषद्, समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)